न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया .
पीठासीन अधिकारी – रतनलाल रेगर आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या – 227/2012
प्रार्थीगण :–

1 भवंरसिंह पुत्र श्री लादूसिंह
2 जबरसिंह पुत्र श्री लादूसिंह
3 लेर कवंर पत्नि श्री लादूसिंह
जाति राजपूत निवासी तिवंरी

–: ब ना म :–

अप्रार्थीगण :–

1 राजुसिंह पुत्र श्री कानसिंह
2 सोनसिंह पुत्र श्री कानसिंह
3 गुल कवंर पत्नि श्री कानसिंह
4 शक्तिसिंह पुत्र श्री हरीसिंह
5 जोगुकवंर पुत्री हरीसिंह आयु 11 वर्ष ना.बा.कु.वली माता
नेनुकवंर पत्नि श्री हरीसिंह
6 नेनुकवंर पत्नि श्री हरीसिंह
जाति राजपूत निवासी तिवंरी
तहसील तिवंरी जिला जोधपुर ।

उपस्थित

1 श्री चन्दनसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2 श्री दिनेश मदेरणा एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, आर.टी.एक्ट.

– निर्णय – दिंनाक – 11/11/19

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तिवंरी की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 216/1 रकबा 6 बीघा 11 बीस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उपरोक्त वर्णित खसरा की भूमि के दक्षिण तरफ खसरा नम्बर 216 रकबा 6 बीघा 11 बीस्वा भूमि अप्रार्थीगण के नाम की खातेदारी की व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उक्त भूमि के आगे दक्षिण मे कटाण का रास्ता चलता है । उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने हेतु उक्त कटाण रास्ते से अप्रार्थीगण की भूमि मे से कदीमी रास्ता चलता है जिसे नजरी नक्शे मे मार्क ए से बी दर्शाया गया है इसके अलावा प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने के लिए दुसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है । अप्रार्थीगण ने हाल ही मे उक्त रास्ते को अवरूद्ध व बन्द कर दिये है जिसे खुलवाया जावे । प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता खोलने के लिए कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हुई इसलिए प्रार्थीगण न्यायालय हाजा मे उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है । प्रार्थीगण को उक्त कटाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:30:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, औसिया

Scanned by CamScanner

रास्ते से अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर बीस फुट चोडा प्रार्थीगण की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे रास्त दर्ज किया जावे । प्रार्थीगण विधि अनुसार एवं डी.एल.सी. की असिंचित भूमि की दर्ज के अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाजा द्वारा अवधारित करने पर अदा करने के लिए तैयार है ।

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिश जारी किये गये ,बाद तामील अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालात नामा पेश किया गया । अप्रार्थीगण ने अपने जबाब मे बताया कि प्रार्थीगण के दक्षिण दिशा मे हम अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि अवश्य ही आई हुई है तथा अप्रार्थीगण वर्षो से उक्त खसरा की भूमि मे निवास करते आ रहे है तथा हम अप्रार्थीगण की भूमि के दक्षिण की ओर से कटाणी रास्ता बहता है अप्रार्थीगण की भूमि से दक्षिणी दिशा की ओर से कदीमी रास्ता चलता है जिसमे से प्रार्थीगण जबाब प्रार्थना के साथ सलंग्न नजरीये नक्शे मे दर्शाये डाट लाईन के रास्ते से वर्षो से आ जा रहे है तथा वर्षो से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नही हो रही है तथा यही रास्ता प्रार्थीगण को सरलता व सुगमता से सहमती से तय किया गया था तथा प्रार्थीगण आज से ही नही बल्कि वर्षो से उक्त रास्ते से आ जा रहे है । नजरी नक्शे मे ए से बी रास्ता निकालने का मामला पारस्परिक सहमती से तय हुआ है क्यो कि जब उक्त ए से बी स्थान पर काई रास्ता ही नही है तो राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कराने का प्रश्न ही पैदा नही होता है । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र यह तो प्रथम दृष्टया पढने मात्र से ही प्रकट होता है कि प्रार्थीगण ने जो ए से बी रास्ता मांगा है वह अप्रार्थीगण के खेत के बिचो बीच से नया रास्ता मांगा है अप्रार्थीगण के खेत के दो टेकडे करने की नीयत से ही उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायलय मे अप्रार्थीगण से रंजिश वंश यह पेश किया है जो इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है जब कि वैकल्पिक रास्ता जो वर्षो से चलता आ रहा है उसके बारे मे किसी भी प्रकार का कोई जिक्र प्रार्थना पत्र मे माननीय न्यायालय के समक्ष नही किया है आज तक प्रार्थी किस रास्ते से आ जा रहे है लेकिन यदि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के भाई होने के नाते यदि खसरा नम्बर 216 मे से ही रास्ता निकालना चाहते है तो उक्त खसरा के पूर्वी सीमा पर ले सकते है तथा इसी रास्ते के नीचे जो भूमि दबति है वक्त भूमि के बदले अप्रार्थीगण को डी.एल.सी रेट नही बल्कि भूमि की मांग की है।

हल्का पटवारी व आर.आई. से मौका रिपोर्ट तलब किया जाकर सामिल मिसल की गई की

दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं को सुना गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए अपने नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता स्वीकार किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली व आर.आई. रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकर किया गया । न्यायहित मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

अतः न्यायहित मे प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने के लिए खसरा नम्बर 216 मे माठ के लगता हुआ रास्ता चाहा गया जिस रास्ते की भूमि का क्षैत्रफल पटवारी रिपोर्ट के अनुसार एक बीघा बताया है । फर्द मौका रिपोर्ट मे दर्शाए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:30:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अनुसार मार्क ए से बी रास्ता स्वीकार किया जाता है आर. आई. फर्द रिपोर्ट के अनुसार 20 फुट चोडा रास्ता स्वीकार किया जाता है । प्रार्थीगण डी एल की दर से दो गुना राशि नियमानुसार जमा करवाने के बाद राजस्व रेकर्ड व लठ्ठा ट्रेश मे अमल दरामद किया जावे । सम्बन्धित तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

आदेश आज दिनाक 11/11/19 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्टर ,ओसिया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:30:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner